भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

22.08.19

विविध वाद सं0–09 (S.T.) / 2019–20 / CNT–46

रंजीत हाँसदा, पिता–स्व0 राम हाँसदा एवं अन्य–02 ....आवेदकगण

———बनाम————

बासेत मुर्मू, पिता–केनाराम मुर्मू .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदकगण (विक्रेता) रंजीत हाँसदा, पिता–स्व0 राम हाँसदा उर्फ राम संथाल (2) सुकलाल हाँसदा, पिता–लखन हाँसदा, (3) दशरथ हाँसदा, पिता–स्व0 दिकु हाँसदा उर्फ दिकु संथाल, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता बासेत मुर्मू, पिता–केनाराम मुर्मू, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला, अंचल–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैं:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
घाटशिला	सॉडपुरा	109	29	141 145	0.75 डी0 6.00 डी0

कुल–6.75 डी0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–03 / 12 / 2018 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 18 / 12 / 2018 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–190, दिनांक:–25 / 01 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा आपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में राम संथाल, जैराम संथाल, सिदो संथाल, पिता–लखन संथाल, छोटेराय संथाल, कान्दरा, संथाल, दिकु संथाल, पिता–सिदो संथाल के नाम पर दर्ज हैं। आवेदकगण उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदकगण आपने हिस्से की जमीन बेचना चाहते है। आवेदित भूमि आवेदकगण के पिता राम संथाल ईत्यादि के नाम पर खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग 5 (पाँच) बीघा से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदकगण रंजीत हाँसदा, पिता–राम संथाल उर्फ राम हाँसदा, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा शपथ पत्र संख्या 33, दिनांक–22/ 08/ 2019 सुकलाल हाँसदा, पिता–लखन हाँसदा, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा शपथ पत्र संख्या 34, दिनांक–22/ 08/ 2019 तथा दशरथ हाँसदा, पिता–दिकु हाँसदा उर्फ दिकु संथाल, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा शपथ पत्र संख्या 39, दिनांक–22/ 08 / 2019 दाखिल की गई है। मुखिया, ग्राम पंचायत,

गोपालपुर से संबंधित भूमि का वंशावली प्राप्त हैं। प्राप्त वंशावली के अनुसार शेष अंशदार श्री बहादुर हाँसदा, पिता–स्व0 राम हाँसदा उर्फ राम संथाल, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या–38 दिनांक–22/08/2019, श्री कान्चन हाँसदा, पिता–स्व0 दिकु हाँसदा उर्फ दिकु संथाल, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या–36, दिनांक–22/08/2019, श्री बाजाल हाँसदा, पिता–स्व0 दिकु हाँसदा उर्फ दिकु संथाल, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या–35, दिनांक–22/08/2019 तथा श्री सिदो हाँसदा, पिता–स्व0 राम संथाल, ग्राम–गोपालपुर, थाना–घाटशिला द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या–37, दिनांक–22/08/2019 दाखिल किया गया हैं।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदकगण के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदक (विक्रेता) एवं केता सभी एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–RES/1003/13/00761, दिनांक–02/08/2013, तथा अंचल कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–CST/1003/00542, दिनांक–02/08/2013 तथा क्रेता की ओर से एक सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2018/465815, दिनांक–03/07/2018, तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2018/508873, दिनांक–22/06/2018 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदकगण 6.75 डीसमल भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–6,50,000.00/–(छः लाख पचास) रूपये में बेचना चाहते है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी घाटशिला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–सॉडपुरा, थाना नं0–109, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–141 एवं 145, रकवा–0.75 डी0 एवं 6.00 डी0 कुल रकवा–6.75 डीसमल भूमि की अन्तरण हेतु आवेदकगण (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

22/08/19

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

22/08/19

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

c.c. of last order is issued.
02/09/19